

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 273/2024

अनवान : -

1. अकरम पुत्र नूरे खान जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. मौजदीन पुत्र रहमान खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. मोनाबिन पत्नी नूरे खान जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. रहिशा बानो पुत्री नूरे खान जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. मदीना पुत्री नूरे खान जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
4. कादर बानो पुत्री नूरे खान जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
5. शरीफा बानो पुत्री नूरे खान जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
6. रोशनी पुत्री नूरे खान जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
7. ताज पत्नी रहमान खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
8. नवाब खां पुत्र रहमान खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
9. राबिया बानो पुत्री रहमान खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
10. रजीया पुत्री रहमान खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
11. मुंशी खां पुत्र इन्दु खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
12. मोहम्मद अली पुत्र इन्दु खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
13. सकीना पुत्री इन्दु खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
14. बिस्मला पुत्री इन्दु खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
15. मोबिना पुत्री इन्दु खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
16. आमीना पुत्री इन्दु खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
17. नूरबानो पुत्री स्व० लारखी पुत्री इन्दु खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
18. शबीर खां पुत्री स्व० लारखी पुत्री इन्दु खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
19. आबिद खां पुत्र स्व० लारखी पुत्री इन्दु खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण


दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०  
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादीगण  
पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: -18/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स० 30/30 की कुल 14.3790 हैक्ड भूमि इन्दु खां पुत्र

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर



खुदा बक्श व रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 630/617 की कुल 1.4480 हैक्ट भूमि हाल पत्नी इन्दु खां के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इन्दु खां पुत्र खुदाबक्श व हाला पत्नी इन्दु खां के नाम दर्ज है जो की वादीगण के दादा व दादी है। इन्दु खां पुत्र खुदाबक्श व हाला पत्नी इन्दु खां का देहान्त हो चुका है। इन्दु खा के दो पुत्र रहमान खा व नूरेखान तथा एक पुत्री लरखी पुत्री इन्दु खां का भी देहान्त हो चुका है। इन्दु खां पुत्र खुदाबक्श व हाला पत्नी इन्दु खां कें जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ता 6 वादी स0 1 की माता/बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी स0 1 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। प्रतिवादीगण संख्या 7, 9 ता 10 जो की वादी संख्या 2 की माता/बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पुत्रो/भाईयों पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 30/30 की कुल 14.3790 हैक्ट व रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 630/617 की कुल 1.4480 हैक्ट भूमि यानि दोनो खातो में से वादी स0 1 अकेला 1/9 हिस्सा, वादी स0 2 व प्रतिवादी संख्या 8 दोनो बहिब 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 व 12 प्रत्येक 1/9, प्रतिवादी संख्या 13 ता 16 प्रत्येक 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 17 ता 19 बहिब 1/9 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं राजस्व रिकार्ड से मृतक इन्दु खां व हाल उर्फ हाला पत्नी इन्दु खां का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है। इसी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 19 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 20 पेशकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा मन्दरपुरा सम्वत 2072-75

अ  
उपरखण्ड अधिकारी  
नोहर

खाता स0 630 व 30, मृत्यु प्रमाण पत्र रहमान खां, चित्रप्रति सदस्य प्रमाण पत्र बहक रहमान खां, मृत्यु प्रमाण पत्र लारखी, मृत्यु प्रमाण पत्र हाता पत्नी इन्दु खां, मृत्यु प्रमाण पत्र इन्दु खां पुत्र खुदा बक्श, मृत्यु प्रमाण पत्र नूरे खान व शपथ पत्र बाबत सदस्य पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इन्दु खां पुत्र खुदाबक्श व हाला पत्नी इन्दु खां के नाम दर्ज है जो की वादीगण के दादा व दादी है। इन्दु खां पुत्र खुदाबक्श व हाला पत्नी इन्दु खां का देहान्त हो चुका है। इन्दु खा के दो पुत्र रहमान खा व नूरेखान तथा एक पुत्री लरखी पुत्री इन्दु खां का भी देहान्त हो चुका है। इन्दु खां पुत्र खुदाबक्श व हाला पत्नी इन्दु खां कें जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ता 6 वादी स0 1 की माता/बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी स0 1 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। प्रतिवादीगण संख्या 7, 9 ता 10 जो की वादी संख्या 2 की माता/बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पुत्रो/भाईयों पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 30/30 की कुल 14.3790 हैक्ट व रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 630/617 की कुल 1.4480 हैक्ट भूमि यानि दोनो खातो में से वादी स0 1 अकेला 1/9 हिसा, वादी स0 2 व प्रतिवादी संख्या 8 दोनो बहिब 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 व 12 प्रत्येक 1/9, प्रतिवादी संख्या 13 ता 16 प्रत्येक 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 17 ता 19 बहिब 1/9 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं राजस्व रिकार्ड से मृतक इन्दु खां व हाल उर्फ हाला पत्नी इन्दु खां का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर

अ  
उपमंडल अधिकारी  
नोहर

के खाता स० 30/30 की कुल 14.3790 हैक्ट भूमि इन्दु खां पुत्र खुदा बक्श व रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स० 630/617 की कुल 1.4480 हैक्ट भूमि हाल पत्नी इन्दु खां के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादीगण का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इन्दु खां पुत्र खुदाबक्श व हाला पत्नी इन्दु खां के नाम दर्ज है जो की वादीगण के दादा व दादी है। इन्दु खां पुत्र खुदाबक्श व हाला पत्नी इन्दु खां का देहान्त हो चुका है। इन्दु खा के दो पुत्र रहमान खा व नूरेखान तथा एक पुत्री लरखी पुत्री इन्दु खां का भी देहान्त हो चुका है। इन्दु खां पुत्र खुदाबक्श व हाला पत्नी इन्दु खां के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ता 6 वादी स० 1 की माता/बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी स० 1 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। प्रतिवादीगण संख्या 7, 9 ता 10 जो की वादी संख्या 2 की माता/बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पुत्रों/भाईयों पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स० 30/30 की कुल 14.3790 हैक्ट व रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स० 630/617 की कुल 1.4480 हैक्ट भूमि यानि दोनो खातो में से वादी स० 1 अकेला 1/9 हिस्सा, वादी स० 2 व प्रतिवादी संख्या 8 दोनो बहिब 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 व 12 प्रत्येक 1/9, प्रतिवादी संख्या 13 ता 16 प्रत्येक 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 17 ता 19 बहिब 1/9 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं राजस्व रिकार्ड से मृतक इन्दु खां व हाल उर्फ हाला पत्नी इन्दु खां का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेष किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 को कोई ऐतराज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार मृतक इन्दु खां के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स० 30/30 की कुल 14.3790 हैक्ट व रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स० 630/617 की कुल 1.4480 हैक्ट भूमि यानि दोनो खातो में से वादी स० 1 अकेला 1/9 हिस्सा, वादी स० 2 व प्रतिवादी संख्या 8 दोनो बहिब

अ  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 व 12 प्रत्येक 1/9, प्रतिवादी संख्या 13 ता 16 प्रत्येक 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 17 ता 19 बहिब 1/9 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक इन्दु खां व हाल उर्फ हाला पत्नी इन्दु खां का नाम कलमजन किया जाता है, इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/12/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*Al*  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

## पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 273/2024

अनवान : -

1. अकरम पुत्र नुरे खान जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. मौजदीन पुत्र रहमान खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

- वादीगण

### बनाम्

1. मोनाबिन पत्नी नूरे खान जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. रहिशा बानो पुत्री नूरे खान जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. मदीना पुत्री नूरे खान जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
4. कादर बानो पुत्री नूरे खान जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
5. शरीफा बानो पुत्री नूरे खान जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
6. रोशनी पुत्री नूरे खान जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
7. ताज पत्नी रहमान खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
8. नवाब खां पुत्र रहमान खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
9. राबिया बानो पुत्री रहमान खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
10. रजीया पुत्री रहमान खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
11. मुंशी खां पुत्र इन्दु खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
12. मोहम्मद अली पुत्र इन्दु खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
13. सकीना पुत्री इन्दु खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
14. बिस्मला पुत्री इन्दु खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
15. मोबिना पुत्री इन्दु खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
16. आमीना पुत्री इन्दु खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
17. नूरबानो पुत्री स्व0 लारखी पुत्री इन्दु खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
18. शबीर खां पुत्री स्व0 लारखी पुत्री इन्दु खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
19. आबिद खां पुत्र स्व0 लारखी पुत्री इन्दु खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 273 सन 2024 निर्णय दिनांक - 18/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 30/30 की कुल 14.3790 हैक्ट व रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 630/617 की कुल 1.4480 हैक्ट भूमि यानि दोनो खातों में से वादी स0 1 अकेला 1/9 हिस्सा, वादी स0 2 व प्रतिवादी संख्या 8 दोनो बहिब 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 व 12 प्रत्येक 1/9, प्रतिवादी संख्या 13 ता 16 प्रत्येक 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 17 ता 19 बहिब 1/9 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक इन्दु खां व हाल उर्फ हाला पत्नी इन्दु खां का नाम कलमजन किया जाता है, इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर नोहर